भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2581

जिसका उत्तर मंगलवार, 18 फरवरी 2014 को दिया जाना है

भोपाल स्थित बीएचईएल की जमीन का अतिक्रमण किया जाना।

2581. श्री मोती लाल वोरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) की लगभग 250 एकड़ जमीन अतिक्रमण की चपेट में है और वहां पर 12,000 झुग्गियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने झुग्गिवासियों को झुग्गियां नहीं हटाए जाने का आश्वासन दिया है;

(ग) उक्त क्षेत्र में झुग्गियां कब बसनी शुरू हुई थीं और उसी समय उन्हें क्यों नहीं रोका गया; और

(घ) सरकार बी.एच.ई.एल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): वर्तमान में, भोपाल स्थित बीएचईएल इकाई की लगभग 150 एकड़ भूमि पर झुग्गीवासियों का अतिक्रमण है।

(ख): इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से बीएचईएल को कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): भोपाल में भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण 1960 के दशक से शुरू हो गया था। वैसे, बीएचईएल ने अपनी भूमि, जिस पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, को बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी और बेदखली की कार्रवाई के उपाय किए हैं। चूंकि झुग्गीवासियों द्वारा भूमि के अतिक्रमण में अन्य बातों के साथ-साथ, कानून और व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है, इसलिए झुग्गीवासियों को हटाने/नए स्थान पर बसाने के लिए बीएचईएल ने स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की है।

(घ): अपनी भूमि पर से झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण को हटवाने के लिए कानून लागू कराने वाली एजेन्सियों द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु बीएचईएल मामले को नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ उठा रहा है।

*****